न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 59/2016

उनवान

1. सीताराम पुत्र हनुमान सहाय,
   जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)
2. भगवान सहाय पुत्र हनुमान सहाय
3. प्रभात पुत्र रतनाराम
4. बंशीधर पुत्र रतनाराम
5. हीरालाल पुत्र रतनाराम
6. महेन्द्र पुत्र कानाराम
7. हनुमान पुत्र मुरली
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.11.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम हाथनोदा,पटवार हल्का नांगलभरडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 856/1 प्रार्थी की भूमि निहित हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चोमू के आदेष से दिनांक 23.06.2016 को श्रीमान तहसीलदार चोमू के आदेष कमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/2016/2090 दिनांक 27.05.2016 की पालना में ग्राम हाथनोदा पटवारी हल्का नांगल भरडा द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 873 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 856/1 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 प्रार्थी को उसके कब्जेषुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काष्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 23.06.2016 को पटवारी हल्का हरदरामपुरा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.20 11:25:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: